प्रपत्र ए

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

उस बैंकिंग कंपनी का नाम जिसमें अधिग्रहण की मांग की गई है:

क्रम सं.	घोषणा की प्रकृति	घोषणा/टिप्पणियां
1	आवेदक का नाम (पिछले नामों सहित, यदि कोई हो)	
2	आवेदक का प्रवर्तक, यदि कोई हो	
3	आवेदक का वर्तमान और स्थायी पता	
4	आवेदक का महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी (एसबीओ)[15]	
5	नागरिकता और निवास की स्थिति [एक व्यक्ति के मामले में; एक इकाई के मामले में स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (फेमा के आधार पर)	
6	आवेदक का पेशा (वैयक्तिक) / आवेदक की श्रेणी सहित संस्था के व्यवसाय की प्रकृति अर्थात, वित्तीय संस्थाएं/ गैर-वित्तीय संस्थाएं/ सुप्रा नेशनल संस्थाएं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सरकार	
7	यदि आवेदक एक संस्था है, तो आवेदक में एक प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता/ मताधिकार रखने वाले व्यक्तियों की सूची	
8	आवेदक द्वारा "प्रस्तावित अधिग्रहण" का विवरण और बैंकिंग कंपनी में "मौजूदा समग्र धारिता" (शेयरधारक का नाम शेयरों की संख्या, चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत और मतदान अधिकारों का प्रतिशत)।	
9	ए) आवेदक के "रिश्तेदारों" की सूची बी) आवेदक के साथ "मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों" की सूची सी) आवेदक के "सहयोगी उद्यमों" की सूची उनके नाम के साथ, बैंकिंग कंपनी में कुल चुकता शेयर पूंजी या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशत में शेयरहोल्डिंग / मताधिकार (यदि कोई हो)।	
10	उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध आवेदक और व्यक्तियों का विवरण - जन्म तिथि / निगमन, पंजीकृत कार्यालय का पता, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, पैन नंबर, टैन नंबर, सीआईएन नंबर / डीआईएन नंबर, आयकर सर्कल, नियामक का नाम, पंजीकरण का प्रकार, बैंक, शाखा और खाता संख्या (क्रेडिट सुविधाओं और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं सहित), निवल मूल्य, कुल संपत्ति, क्रेडिट रेटिंग / क्रेडिट स्कोर। (एक अलग अनुबंध में दिया जा सकता है)	
11	बैंकिंग कंपनी में समग्र धारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए धन का स्रोत (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
12	पिछले पांच वर्षों में आवेदक की कुल निवल मूल्य आस्ति, लाभप्रदता और औसत आय (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)।	
13	अनुबंध/ शेयरधारक अनुबंध का सारांश (समझौते की एक प्रति के साथ अनुबंध में दिया जा सकता है)	
14	क्या आवेदक या उक्त क्रमांक 9 में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है?	
15	यदि आवेदक, या उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई एक पेशेवर संघ / निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अतीत में सजा हुई है या क्या उसे किसी भी समय किसी पेशे/ व्यवसाय में प्रवेश/ निरंतर रहने से प्रतिबंधित किया गया है।	
16	क्या आवेदक या ऊपर क्रमांक 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी भी जांच के अधीन है? (हालांकि किसी व्यक्ति के लिए विनियामकों द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूर्ण रूप से उलट दिया गया / पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया हो, उसी प्रकार यदि उलटना / रद्द करना तकनीकी कारणों जैसे कि सीमा या अधिकार	

[15] एसबीओ का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) दिशा-निर्देश, 2023 के तहत है।

क्रम सं.	घोषणा की प्रकृति	घोषणा/टिप्पणियां
	क्षेत्र की कमी आदि, न कि योग्यता के आधार पर, तो उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामकीय आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है और अपीलीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
17	किसी कानून, नियमों और /या विनियमों के उल्लंघन के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस या अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, लंबित अथवा शुरू या अतीत में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी प्राधिकरण / विनियामक की प्रतिकूल सूचना का विवरण, यदि कोई हो तो।	
18	अनिवासी निवेशकों के मामले में, क्या प्रस्तावित अधिग्रहण/निवेश फेमा, 1999 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुपालन में है?	
19	क्या आवेदक, या उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों को बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?	
20	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण/मौजूदा होल्डिंग (यदि लागू हो) में किसी अन्य व्यक्ति का लाभकारी हित है?	
21	अन्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में आवेदक, उसके रिश्तेदारों, सहयोगी उद्यमों के साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता/ मतदान अधिकार/ अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर / बांड का विवरण।	
22	यदि आवेदक या उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध किए गए व्यक्तियों / संस्थाएं एक विनियमित इकाई है, तो भारत और विदेशों में उनके विनियामकों के नाम और पते।	
23	क्या आवेदक या उपर्युक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं / सुप्रा नेशनल संस्थाएं/ सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि एक वित्तीय संस्थान है?	
24	क्या आवेदकों या उपर्युक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों/ संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है? यदि हां, तो शेयर बाजार और सार्वजनिक शेयरधारिता की सीमा का उल्लेख करें?	
25	पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक का आयकर विवरणी और वित्तीय विवरण (संलग्न किया जाना है)।	
26	आवेदक या उपर्युक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं की "उचित और उपयुक्त" स्थिति का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली उपर्युक्त मदों के बारे में कोई अन्य स्पष्टीकरण / जानकारी।	
27	क्या आवेदक बैंकिंग कंपनी में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करना चाहता है?	
28	वह समयावधि जिसके दौरान आवेदक बैंक में प्रस्तावित शेयरधारिता के अधिग्रहण को पूरा करना चाहता है।	
29	बैंकिंग कंपनी में शेयरधारिता अथवा मताधिकार प्राप्त करने का उद्देश्य।	
30	जहां आवेदक और अंतिम हिताधिकारी स्वामियों के बीच दो से अधिक लेयरिंग (स्तर) हों? इस तरह के लेयरिंग के कारण।	
31	क्या प्रस्तावित निवेश एफएटीएफ के गैर-अनुपालन वाले अधिकार क्षेत्र से है अथवा उसके माध्यम से है?	
बैंकिंग कंपनी में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की समग्र धारिता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों/व्यक्तियों/प्रमुख शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी		
32	पिछले पांच वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा जुटाई गई पूंजी का विवरण	
33	उन व्यक्तियों/ संस्थाओं की सूची जिनके पास आवेदक की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या अधिक है। हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) की सूची[16] जहां आवेदक अथवा उसके परिवार का सदस्य सदस्य/कर्ता है।	

[16] दिशानिर्देशों के अनुसार केवल 10 प्रतिशत या अधिक शेयरधारिता रखने के योग्य होने पर।

क्रम सं.	घोषणा की प्रकृति	घोषणा/टिप्पणियां
	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें उपर्युक्त (बी) में एचयूएफ के पास उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा है। ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें आवेदक के पास ऐसी संस्थाओं की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। संस्थाएं, यदि कोई हो, जिसमें आवेदक को हित रखने वाला माना जाता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]। ऐसी संस्थाएं जहां आवेदक के सामान्य शेयरधारक हैं, जिनके पास आवेदक और उन संस्ताओं की चुकता शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। आवेदक का संयुक्त उद्यम / सहयोगी (प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अंतर्गत परिभाषित) आवेदक की संबंधित पार्टियां (कंपनी अधिनियम, 2013/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एलओडीआर और प्रासंगिक लेखा मानक के तहत परिभाषित हैं)। ऐसी संस्थाएं जिनमें आवेदक और क्रम संख्या 9 और उपर्युक्त (a) से (h) तक सूचीबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा सामूहिक शेयरधारिता, उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसी संस्थाएं जिनमें क्रम संख्या 9 और उपर्युक्त (a) से (i) तक सूचीबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है।	
34	उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा "अधिग्रहण" और "समग्र धारिता राशि (होल्डिंग)" का विवरण (विवरण - नाम, शेयरों की संख्या में शेयरधारिता और चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत और संबंधित बैंकिंग कंपनी में मताधिकार)।	
35	क्या आवेदक, या उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से किसी को किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है?	
36	यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई एक पेशेवर संघ / निकाय का सदस्य है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो तो, लंबित है अथवा प्रारम्भ हुई है या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में उसके विरुद्ध दोषसिद्धि हुई है अथवा क्या उसे किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश करने/जारी रखने से प्रतिबंधित किया गया है?	
37	क्या उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से कोई भी किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी जांच के अधीन है? यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति सहित पूर्ण विवरण दें।	
38	किसी कानून, नियमों और /या विनियमों के उल्लंघन के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस या अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, लंबित अथवा शुरू या अतीत में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी प्राधिकरण / विनियामक की प्रतिकूल सूचना का विवरण, यदि कोई हो तो। (हालांकि किसी व्यक्ति के लिए विनियामकों द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूर्ण रूप से उलट दिया गया / पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया हो, उसी प्रकार यदि उलटना / रद्द करना तकनीकी कारणों जैसे कि सीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी आदि, न कि योग्यता के आधार पर, तो उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामकीय आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है और अपीलीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
39	क्या बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी भी विधिक के तहत उक्त क्रम	

क्रम सं.	घोषणा की प्रकृति	घोषणा/टिप्पणियां
	संख्या 33 में किसी व्यक्ति / संस्था को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?	
40	अन्य बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थानों के बोर्डों पर आवेदक के प्रतिनिधित्व का विवरण।	
41	क्या आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़े हैं?	
42	निगमन की तिथि, पैन / टैन नंबर, सीआईएन नंबर, डीआईएन नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, आयकर सर्कल का विवरण, विनियामक का नाम, पंजीकरण का प्रकार, यदि कोई हो, बैंक, शाखा और खाता संख्या (ऋण सुविधाओं और गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित), निवल मूल्य और उक्त 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं का कुल का सारणीकरण (एक अलग अनुबंध में दिया जा सकता है)	
43	ऊपर क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध प्रमुख संस्थाओं के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण (समूह की कुल आस्ति का कम से कम 50 प्रतिशत कवर करते हुए).	
44	आवेदक का व्यावसायिक रिकॉर्ड और अनुभव जिसमें कंपनियों/व्यवसाय के अधिग्रहण का कोई अनुभव शामिल है।	
45	ऊपर क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली उक्त मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना।	

वचन

मैं पुष्टि करता हूं कि उक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंकिंग कंपनी को पूरी तरह से सूचित रखने का वचन देता हूं, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

आवेदक/आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान:

दिनांक: